http://abcaus.in

सर्वोच्च प्राथमिकता।

परिपत्र संख्या–न्याय–2–वापसी/2017–18/ 535 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वाद अनुभाग)
लखनऊ दिनांकः 21 अगस्त 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0)/(कार्पो0)/डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)/
असिस्टेंट कमिश्नर (क0नि0)/वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः रिफण्ड दिये जाने से पूर्व दावों का पूर्ण सत्यापन/परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित रिफण्ड योग्य धनराशि का रिफण्ड किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय से निम्नलिखित परिपत्र निर्गत किये गये हैं:–

1. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1213012 दिनांक 22.05.2012
2. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1213021 दिनांक 07.06.2012
3. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1213043 दिनांक 26.07.2012
4. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1415043 दिनांक 08.07.2014
5. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1516019 दिनांक 28.05.2015
6. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1516076 दिनांक 15.03.2016
7. कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1617035 दिनांक 26.09.2016

उपरोक्त परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं। इन परिपत्रों में वैट व्यवस्था के क्रम में मुख्य रूप से यह भी निर्देश दिये गये हैं कि रिफण्ड दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत टैक्स के जमा का सत्यापन किया जाना अपरिहार्य है और सत्यापन के उपरान्त ही रिफण्ड की कार्यवाही की जाये। सूचनाओं के सत्यापन में अधिकारियों द्वारा कदापि विलम्ब न किया जाये।

रिफण्ड कार्यो के सम्बन्ध में सघन अनुश्रवण का दायित्व सम्भाग स्तर पर ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा जोनल स्तर पर एडीशनल कमिश्नर का होने और उनके द्वारा इसकी गहन समीक्षा करने के भी निर्देश पूर्व से विद्यमान हैं। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि बिना सत्यापन/समुचित परीक्षण के रिफण्ड जारी किये जाने के फलस्वरूप हुई राजस्व क्षति के लिए कर निर्धारण अधिकारी के साथ–साथ सम्बन्धित पर्यवेक्षक अधिकारी का भी दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों को प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी बार–बार स्मरण कराया जाता रहा है परन्तु माह जुलाई 2017 में कानपुर में किये गये ₹ 22.11 करोड़ के रिफण्ड में बड़ी धनराशि के रिफण्डों से सम्बन्धित पत्रावलियों के प्रारम्भिक परीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय ऐसे रिफण्ड किये गये हैं जिनमें खरीद से सम्बन्धित फर्म अस्तित्वहीन है। सत्यापन की सूचना गलत खण्डाधिकारी को भेजी गई हैं। निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में निर्यात के स्थानों में भिन्नता है।

http://abcaus.in

अधिक दर से खरीद दर्शाते हुए उस वस्तु का विक्रय कम दर से किया गया है। सत्यापन हेतु प्रेषित पत्रों में समस्त खरीद की इनवायसों का विवरण शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति अत्यन्त गंभीर है और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी पर्यवेक्षक अधिकारियों के लचर अनुश्रवण को परिलक्षित करती है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के माह जुलाई 2017 तक जो भी सिंगल रिफण्ड ₹ 10 लाख या इससे अधिक धनराशि का किया गया है उससे सम्बन्धित पत्रावलियों का स्पेशल ऑडिट कराया जाये। उक्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 20.09.2017 तक पूर्ण करा लिया जाये। स्पेशल ऑडिट के परीक्षणोपरान्त राजस्व सुरक्षित करने की विधिनुसार कार्यवाहियां तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का स्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही भी प्रत्येक दशा में दिनांक 15.10.2017 तक पूर्ण कर ली जायें।

उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

21/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांकः उक्त।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि संख्या अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय/सम्बन्धित जोनों से अपेक्षित विवरण प्राप्त करते हुए स्पेशल ऑडिट हेतु टीमें गठित कर स्पेशल ऑडिट की कार्यवाही उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
3. एडीशनल कमिश्नर (विधि) को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर एवं नोडल अधिकारी, जोन्स, वाणिज्य कर मुख्यालय को अनुश्रवण हेतु।

(वन्दना तिवारी)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद)
वाणिज्य कर मुख्यालय।